

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**

No. F.14(5)/LA-2004/

Dated : 26th March, 2004

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 25th March, 2004 and is hereby published for general information :-

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2004

(Delhi Act 2 of 2004)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the months of April to July, 2004.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 55th year of the Republic of India as follows:-

SHORT TITLE.

1. This Act may be called the Appropriation (Vote on Account) Act, 2004.

Vote on Account for
Rs. 4506,01,00,000/-
out of the
Consolidated Fund of
the National Capital
Territory of Delhi for
the months of
April to July, 2004.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule amounting in the aggregate to the sum of Rupees four thousand five hundred six crores and one lakh towards vote on account for defraying the several charges which will come in the course of payment during the months from April to July, 2004 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

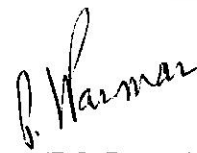
APPROPRIATION.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislature Revenue	19000	1300	20300
2	General Administration Revenue	144300	6900	151200
	Capital	33300	0	33300
3	Administration of Justice Revenue	299600	91500	391100
4	Finance Revenue	233500	100	233600
5	Home Revenue	329700	500	330200
	Capital	1700	0	1700
6	Education Revenue	4475800	900	4476700
	Capital	192600	0	192600
7	Medical and Public Health Revenue	2353800	100	2353900
8	Social Welfare Revenue	1039000	100	1039100
	Capital	4108600	0	4108600
9	Industries Revenue	168100	100	168200
	Capital	48100	0	48100
10	Development Revenue	668300	700	669000
	Capital	403900	2800	406700
11	Urban Development and Public Works Revenue	4612200	0	4612200
	Capital	11900600	216700	12117300
	Public Debt. Revenue	0	5499700	5499700
	Capital	0	8063300	8063300
12	Loans to Government Servents Capital	30000	0	30000
13	Pension Revenue	113300	0	113300
Total		31175400	13884700	45060100


(P.S. Parmar)

Deputy Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं.एफ.14(5)/विधायी कार्य-2004

दिनांक: 26 मार्च, 2004

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 25 मार्च, 2004 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2004

(दिल्ली अधिनियम 2, 2004)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अप्रैल से जुलाई, 2004 माह से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम ।

इसे भारतीय संविधान के 55 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

(1) इस अधिनियम को विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम 2004 कहा जाए।

4506,01,00,000/- रुपयों का (2) लेखा अनुदान अप्रैल से जुलाई, 2004 माह के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए चार हजार पांच सौ छः करोड़ एक लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में अप्रैल से जुलाई, 2004 माह की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवार्य एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधौ पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व 19000	1300	20300
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 144300	6900	151200
		पूंजी 33300	0	33300
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 299600	91500	391100
4	वित्त	राजस्व 233500	100	233600
5	गृह	राजस्व 329700	500	330200
		पूंजी 1700	0	1700
6	शिक्षा	राजस्व 4475800	900	4476700
		पूंजी 192600	0	192600
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व 2353800	100	2353900
8	समाज कल्याण	राजस्व 1039000	100	1039100
		पूंजी 4108600	0	4108600
9	उद्योग	राजस्व 168100	100	168200
		पूंजी 48100	0	48100
10	विकास	राजस्व 668300	700	669000
		पूंजी 403900	2800	406700
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 4612200	0	4612200
		पूंजी 11900600	216700	12117300
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0	5499700	5499700
		पूंजी 0	8063300	8063300
	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	पूंजी 30000	0	30000
	पेंशन	राजस्व 113300	0	113300
जोड़		31175400	13884700	45060100

25/11/12

(पी.एस. परमार)

उप सचिव (बिधि, न्याय एवं विधायी कार्य)